

eNEWS LETTER

April-2016



Jodhpur Development Authority was established under Jodhpur Development Authority Act, 2009 (Act No. 2 of 2009) under the Department of Urban Development and Housing, Government of Rajasthan for the purposes of planning, coordinating and supervising the proper, orderly and rapid development of the Jodhpur Region and of executing plans, projects and schemes for such development and to provide for matters connected there with.

Composition of Jodhpur Development Authority

A Chairman appointed by the State Government

A Vice-chairman, Jodhpur Development Commissioner, Jodhpur

Principal Secretary to the Government, Urban Governance [Development and Housing] Department or his representative not below the rank of Deputy Secretary

Deputy Housing Commissioner, Rajasthan Housing Board, Jodhpur

Additional Chief Engineer, Public Health Engineering Department, Jodhpur

Additional Chief Engineer, Public Works Department, Jodhpur

District Collector, Jodhpur

Chief Managing Director, Jodhpur Vidyut Vitran Nigam Ltd., Jodhpur

Chairman/Administrator, Municipal Corporation, Jodhpur

Zila Pramukh of Zila Parishad, Jodhpur

Deputy Town Planner, Jodhpur

Non official members, not exceeding seven to be nominated by the State Government

Contact us

Jodhpur Development Authority
Opposite Railway Hospital
Railway Hospital Road,
Ratanada, Jodhpur (Rajasthan) 342001 India
e-mail-jdajodhpur-rj[at]nic[dot]in
Phone No.- 0291-2612086, 0291-2656355
Fax No. - 0291-2615372



Ratan Lahoti
(I.A.S)
Chairman

“” जोधपुर शहर की जनता द्वारा किये गये अभिनन्दन के लिये आभार व्यक्त करता हूँ। शहर के समग्र विकास हेतु कार्य करना ही मेरा एक मात्र लक्ष्य है तथा इसी संकल्प के साथ मैं कार्य करूंगा। जोधपुर शहर की जनता से अपील है कि शहर के विकास में अधिकाधिक भागीदारी निभाए ताकि शहर के विकास हेतु रचनात्मक एवं ठोस कार्य निरन्तर आगे बढ़े। “”



Kailashchand Meena
(I.A.S)
Commissioner

“” जोधपुर शहर के विकास में प्राधिकरण अपनी भूमिका निभाने के लिए कृत संकल्पित है। मुझे विश्वास है कि आप सबके सहयोग से जोधपुर के विकास में हम सब मिलकर अपना योगदान देंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। “”



Durgesh Kumar Bissa

(R.A.S)

Secretary

“” जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर शहर के समग्र एवं सुनियोजित विकास के लिए दृढ. संकल्प है। मेरा विश्वास है कि इस कार्य को सही दिशा में क्रियान्वित करने के लिए आप सबका अपेक्षित सहयोग मिलता रहेगा। आप हम सब मिलकर विकास के इस सपने को साकार करें। “”

Disclaimer

eNews Letter तैयार करने में सभी तथ्यों को सावधानी से चेक किया गया है। फिर भी मानवीय भूल से इन्कार नहीं किया जा सकता है। यदि कोई त्रुटि होती है तो उसे तथ्यों के आधार पर सुधार कर पुनः प्रदर्शित किया जा सकता है। आपके सुझाव व आपत्ति निम्न पते या ईमेल पर भिजवाए जा सकते हैं।

दिनांक:- 01 / 05 / 2016

पता:-जोधपुर विकास प्राधिकरण,
रेल्वे हॉस्पिटल के सामने, रेल्वे हॉस्पिटल रोड,
रातानाडा, जोधपुर।

ईमेल:- [jdajodhpur-rj\[at\]nic\[dot\]in](mailto:jdajodhpur-rj[at]nic[dot]in)

फोन:- 97990-42144
देवेन्द्र गहलोत
एनालिस्ट कम प्रोग्रामर

Concrete Activities

जेडीए द्वारा राजस्थान सम्पर्क के प्रकरणों में जनसुनवाई सम्पन्न –

जोधपुर विकास प्राधिकरण में गुरुवार राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर प्राधिकरण से सम्बन्धित प्रकरणों पर जनसुनवाई हुई जनसुनवाई में दूरभाष पर पूर्व सूचना देकर आमंत्रित परिवादीगण की जनसुनवाई कर हाथों-हाथ प्रकरणों का निस्तारण किया गया । गुरुवार को हुई जनसुनवाई के दौरान उपस्थित अधिकारियों, मिडीयाकर्मीयों, जनप्रतिनिधियों के समक्ष परिवादीगण को आयुक्त जोगाराम के जयपुर प्रवास के कारण प्राधिकरण सचिव द्वारा तल्लिनता से सुना गया व प्रकरणों में हुई प्रगति के बारे में सम्बन्धित को आवश्यक जानकारी दी गई ।

प्राधिकरण सचिव बिस्सा ने बताया कि अधिकारियों द्वारा परिवादियों को प्रकरणों में पूर्व में ही किये जा चुके निराकरण व प्रगति के बारे में भी परिवादियों को अवगत करवाया गया ।



Concrete Activities

जेडीए में बकाया लीज 31 मई तक जमा कराने पर ब्याज में 100% छूट –

जेडीए में बकाया लीज जमा कराने के लिए राज्य सरकार ने छूट की अवधि अब 31 मई तक बढ़ा दी है। पहले यह अवधि 31 मार्च तक ही थी। यूडीएच के ओर से जारी आदेश के तहत बकाया लीज के ब्याज पर सौ फीसदी छूट मिलेगी। जेडीए की ओर से आवंटित किये गए भूखण्डों की बकाया लीज राशि एकमुश्त जमा कराने पर यह छूट मिलेगी। साथ ही पेनल्टी में भी नियमानुसार छूट दी जा रही है।

झरणा विहार योजना : आवेदन पत्र मय पंजीकरण राशि जमा कराने की अन्तिम तिथि 13 मई –

जेडीए की बड़ली के खसरा संख्या 88 में लांच झरणा विहार योजना के फार्म अब 29 अप्रैल तक मिलेंगे। पहले फार्म मिलने का शुक्रवार को अंतिम दिन था। लॉटरी की तिथि बाद में घोषित की जाएगी। जेडीए सचिव दुर्गेश कुमार बिस्सा ने बताया कि योजना में 791 भूखण्डों का आवंटन मैनुअली लॉटरी से किया जाएगा। 12 मार्च को झरणा विहार योजना लांच की गई थी। योजना के फार्म की बिक्री एक्सिस बैंक के मार्फत की जा रही है वहीं वेबसाइट पर भी फॉर्म उपलब्ध है। प्राधिकरण के उपायुक्त मोहनसिंह राजपुरोहित ने बताया पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र मय पंजीकरण राशि जमा कराने की अन्तिम तिथि 13 मई 2016 निर्धारित की गई है। राजपुरोहित ने बताया कि प्राधिकरण की वेबसाइट jodhpurjda.org से योजना के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। प्राधिकरण के उपायुक्त ने बताया कि प्राधिकरण की झरणा विहार आवासीय योजना में भूखण्डों का आकार 40.5 वर्गमीटर, 72 वर्गमीटर, 120 वर्गमीटर, 162 वर्गमीटर, 234 वर्गमीटर, 375 वर्गमीटर तक के भूखण्ड लॉटरी द्वारा आवंटित किये जायेंगे योजना की आरक्षित दर रु. 5555 प्रति वर्गमीटर रखी गई है। इस योजना में कुल भूखण्डों की संख्या 791 है। झरणा विहार आवासीय योजना में व्यापक सुविधाएँ सामुदायिक सुविधाएँ हेतु 365082.20 वर्गमीटर भूमि क्षेत्र योजना में आरक्षित किया गया है, जिसमें विद्यालय, चिकित्सालय एवं जन सुविधाएँ विकसित की जानी प्रस्तावित है। झरणा विहार आवासीय योजना जोधपुर के राजस्व ग्राम बड़ली संख्या 88 में स्थित है। योजना जोधपुर रेलवे स्टेशन से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।

प्राधिकरण जारी करेगा अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिशी 2009 के अन्तर्गत EWS एवं LIG पट्टे

जोधपुर विकास प्राधिकरण के सचिव, श्री दुर्गेश कुमार बिस्सा ने बताया कि अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिशी 2009 मॉडल 4 के अन्तर्गत जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की योजना लहरिया रिसोर्ट के पास ग्राम चौखा के खसरा नम्बर 667, 668, 670, 671, 673-77 पर आर्थिक दृष्टि से कमजोर/अल्प आय वर्ग के आवासों का निर्माण किया जा रहा है। बिस्सा ने बताया कि EWS में 01 से 53 एवं LIG में 01 से 32 ब्लॉक में कुल 1350 आवासों का निर्माण कार्य चल रहा है, निर्माणकर्ता द्वारा EWS में 01 से 39 एवं LIG में 16 से 19 ब्लॉक का कार्य पूर्ण हो चुका है। बिस्सा ने बताया कि अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिशी 2009 मॉडल 4 के अन्तर्गत EWS में 01 से 39 एवं LIG में 16 से 19 ब्लॉक के आवंटी अपने आवंटित आवास की राशि जमा करवा चुका हो तो कार्यालय समय में उपस्थित हो नियमानुसार पट्टा विलेख हेतु आवेदन कर पट्टा प्राप्त कर सकता है।

Concrete Activities

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत रियायती ब्याज पर ऋण—

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के सचिव, श्री दुर्गेश कुमार बिस्सा ने बताया कि राजस्थान आवास विकास एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, 4-स-24, जवाहर नगर, जयपुर द्वारा मेगा आवास योजना 2013-14 अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिशी-2009 के अन्तर्गत दिनांक 10-04-2015 को लॉटरी द्वारा आवास/फ्लेट आवंटन किये गये है। M/s Nila Infrastructures Ltd. द्वारा निर्मित की जा रही परियोजना ग्राम आंगणवा-नागौर बाई पास रोड, जोधपुर जी3 के अन्तर्गत आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग/अल्प आय वर्ग में जिनको आवास आवंटित किये गये उनका कार्य निर्माणाधीन है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत मेगा आवास योजना आंगणवा को राज्य स्तरीय अनुमोदन समिति State Level Monitoring and Sanctioning Committee द्वारा स्वीकृत किया गया है। स्वीकृति के अनुरूप आंगणवा में निर्मित किये जा रहे आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के आवंटियों को अफोर्डेबल हाउसिंग पार्टनरशिप के तहत रुपये 1.50 लाख की सब्सिडी देय है तथा क्रेडिट लिंक सबसिडी स्कीम के अन्तर्गत अल्प आय वर्ग के आवंटियों को रुपये 6.00 लाख तक 6.50 रियायती ब्याज पर ऋण दिये जाना निर्धारित किया गया है।

बिस्सा ने बताया कि ग्राम आंगणवा-नागौर बाई पास रोड, जोधपुर जी3 के अन्तर्गत आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग/अल्प आय वर्ग में जिनको आवास आवंटित किये गये एवं उनका कार्य निर्माणाधीन है उन आवंटियों को दस दिवस के भीतर-भीतर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होकर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत योजना का लाभ लेने के लिए आवंटित आवासों के आवंटियों को आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के आवंटियों को आधार कार्ड, बैंक डायरी एवं आवंटन पत्र की फोटोप्रति व अल्प आय वर्ग के आवंटियों को आधार कार्ड, बैंक डायरी, वार्षिक आय का स्व-घोषणापत्र, ट्राई-पार्टी एग्रीमेन्ट एवं आवंटन पत्र की फोटोप्रति जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर कार्यालय में जमा कराने होंगे।